न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/463

1. देवकरण
2. महेन्द्र
3. सुरेन्द्र पिसरान गरवर जाति रेबारी निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
4. कमला बाई बेवा गरवर जाति रेबारी निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कृष्ण दत्त दाधीच, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामबाबू मालव, राजकीय अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

दिनांक: 31.01.2018

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय उप जिलाधीश, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.09.1991 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि उप जिलाधीश बून्दी ने दिनांक 08.07.1966 को ग्राम बडाखेडा की आराजी खसरा नम्बर 74 मिन रकबा 10 बीघा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 574 की 0.73 हैक्टर, खसरा नम्बर 587 की 0.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 590 की 0.10 हैक्टर, खसराा नम्बर 589 की 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 591 की 0.50 हैक्टर कुल किता 05 की 1.68 हैक्टर भूमि मृतक गरवर आत्मज कान्हा जाति रेबारी निवासी बडा खेडा को नीलामी में आवंटित करने का आदेश पारित किया ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 20.09.1991 के द्वारा आवंटी द्वारा बावजूद सूचना के आवंटित भूमि की आरक्षित राशि समय पर जमा नहीं करवाई जाने के कारण उक्त आवंटन आदेश दिनांक 08.07.1966 निरस्त कर दिया ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.09.1991 के विरूद्ध अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 30.8.17 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई । जिस पर उक्त निर्णय नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट सबजेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि आवंटी द्वारा नीलामी की समस्त राशि समय पर जमा कर देने के बाद भी पटवारी हल्का ने बिना जॉच किये ही गलत रिपोर्ट दी जिसके आधार पर उक्त अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया । आवंटी का आवंटन की दिनांक के पूर्व से ही आवंटित भूमि पर कब्जा था तथा आवंटन की कार्यवाही करते हुए भी आवंटी को दखल दिया गया । आवंटी जीवन पर्यन्त आवंटनशुदा भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा वर्तमान में उसके उत्तराधिकारी अपीलान्ट आवंटित भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.09.1991 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है। क्योंकि आवंटी ने आवंटित भूमि बाबत् बावजूद सूचना के समय पर आरक्षित मूल्य की राशि जमा नहीं करवाई है और न ही आवंटित भूमि पर आवंटी का कभी कब्जा काश्त रहा है और न ही वर्तमान में आवंटी का कब्जा है । आवंटी द्वारा राजस्थान उपनिपवेशन चम्बल परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमियों के आवंटन/विक्रय नियम, 1957 की धारा 2 (झ) की पालना नहीं की गई है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.09.1991 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

मने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । उप जिलाधीश बून्दी ने दिनांक 08.07.1966 को ग्राम बडाखेडा की आराजी खसरा नम्बर 74 मिन रकबा 10 बीघा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 574 की 0.73 हैक्टर, खसरा नम्बर 587 की 0.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 590 की 0.10 हैक्टर, खसराा नम्बर 589 की 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 591 की 0.50 हैक्टर कुल किता 05 की 1.68 हैक्टर भूमि मृतक गरवर आत्मज कान्हा जाति रेबारी निवासी बडा खेडा को नीलामी में आवंटित करने का आदेश पारित किया । आवंटी द्वारा नीलामी की समस्त राशि समय पर जमा कर देने के बाद भी पटवारी हल्का ने बिना जॉच किये ही गलत रिपोर्ट दी जिसके आधार पर उक्त अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । आवंटी द्वारा आवंटन की आरक्षित मूल्य राशि दिनांक 08.09.1966 को चालाना संख्या 3809 द्वारा जमा करवाई गई है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है । हम अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.09.1991 निरस्त किया जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 31.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा